संख्या-188/2015/402जेपीआर/22-3-15-800(191)/2013

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
आजमगढ़।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 29 जून, 2015***

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के बंदी कमरूज्जमा पुत्र श्री इदरीश, निवासी-ग्राम-हिरनई गुल्लीगढ़, थाना-रौनापुर, जिला-आजमगढ़ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के बंदी कमरूज्जमा पुत्र श्री इदरीश, निवासी-ग्राम-हिरनई गुल्लीगढ़, थाना-रौनापुर, जिला-आजमगढ़ को शासनादेश संख्या-109/2015/1190जेएल/22-3-15-800(191)/2013, दिनांक 28-04-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-188/2015/402जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in